

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली-11

फा.सं0 ए-32013 / 1 / 2017—टीसीपीओ / प्रशा. ।।। (पीपीएंडसी) / अमृत- ।।। ए

दिनांक: 16 NOV., 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 (56100-177500/- रु.) में सहायक निदेशक (रा.भा.) (सा.के.से. समूह 'क' राजपत्रित) के पद पर संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति] द्वारा भर्ती।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन में लेवल-10 (56100-177500/- रु.) में सहायक निदेशक (रा.भा.) (सा.के.से. समूह 'क' राजपत्रित) के एक पद पर संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति] द्वारा भर्ती।

2. पद का व्यौरा निम्नानुसार है:-

पद का नाम	सहायक निदेशक
पद की संख्या	01 (एक)
वर्गीकरण	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसंधानीय
वेतन बैंड और ग्रेड	लेवल-10 (56100-177500/- रु.)
वेतन या वेतनमान	
भर्ती की पद्धति एवं व्यौरा	संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति):— केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या अर्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी;
	(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400/- रु.) या समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस स्तर में नियमित आधार पर तीन वर्ष की सेवा की हैं; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/- रु.) या समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस स्तर में नियमित आधार पर आठ वर्ष की सेवा की हैं; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं—
	आवश्यक: (i) (अ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी हो; या (आ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी हो; या (इ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी हो; या (ई) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी हो; या (उ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी तथा अंग्रेजी हों या दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो;

2/16/11/20

- (ii)(अ) केन्द्रीय या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपकरणों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली (पारिभाषिक शब्दावली विषयक कार्य) को व्यवहार या कार्य में लाने और हिंदी से अंग्रेजी अथवा हिंदी से अंग्रेजी, अधिमानतः तकनीकी अथवा वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद में तीन वर्ष का अनुभव हो; या
- (आ) केन्द्र या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपकरणों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाने का अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव हो।

वांछनीय:

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं के स्तर तक संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हिंदी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा का अध्ययन किया हो।

टिप्पणि: ऐसा विभागीय कनिष्ठ अनुवादक जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400—112400/- रु.) में उस स्तर में आठ वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है और केन्द्रीय अनुवाद व्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित तीन महीने के अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, के संबंध में भी बाह्य अधिकारियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3. अन्य निवंधन एवं शर्तें इस प्रकार हैं:-

निरहता	वह व्यक्ति, -
	<p>(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या</p> <p>(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,</p>
शिथिल करने की शक्ति	<p>उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।</p> <p>परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।</p> <p>जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।</p>

4. कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 17 जून, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/8/2009-स्था. (वेतन ।।) में निहित अनुदेशों द्वारा प्रतिनियुक्ति की शर्तें नियंत्रित होंगी।

26/6/2020
16/11/20

5. पात्र एवं इच्छुक अधिकारियों, जिन्हें चयन होने की स्थिति में कार्यभार से मुक्त किया जा सकता है, द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.07.2015 के का.ज्ञा. सं.एबी.14017 / 28 / 2014-रथा.(आरआर) के अनुसार निर्धारित प्रारूप (जिसे http://documents.doptcirculars.nic.in/D2/D02est/14017_28_2014-Estt.RR-02072015.pdf से डाउनलोड किया जा सकता है) में विधिवत सत्यापित आवेदनपत्र (मूल) को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उचित माध्यम से रोजगार समाचार में इस कार्यालय ज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाएः-

- (क) पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की अनुप्रमाणित (प्रत्येक पृष्ठ पर) प्रतियाँ।
(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए हुए और मोहर लगे हुए मूल काडर अनापत्ति, सतर्कता अनापत्ति, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र और पिछले दस वर्ष के दौरान दिए गए बड़े और छोटे दंडों का विवरण।

6. आवेदन करने वाले अधिकारियों को बाद में अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उचित माध्यम से प्राप्त ना होने वाले अथवा विहित समय के बाद प्राप्त होने वाले अथवा उपर्युक्त दस्तावेजों के बिना प्राप्त होने वाले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।

*१५/८०
१६/११/२०*
(राजीव कुमार दास)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23062075

सेवा में,

भारत के सभी मंत्रालय / केन्द्र सरकार के सभी विभाग – मंत्रालय, विभाग, अनुसंधान संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, कानूनी संगठन, स्वायत्त संगठन इत्यादि को अपने सभी पात्र अधिकारियों को परिचालित करने के विशेष अनुरोध के साथ।

(संलग्न सूची 'क' के अनुसार)

भारत की सभी राज्य सरकार और केन्द्र शासित सरकार – मंत्रालयों, विभागों, अनुसंधान संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, कानूनी संगठनों, स्वायत्त संगठनों, नगर एवं ग्राम नियोजन विभागों, शहरी स्थानीय निकायों, अर्ध-सरकारी निकायों इत्यादि को अपने सभी पात्र अधिकारियों को परिचालित करने के विशेष अनुरोध के साथ।

(संलग्न सूची 'ख' के अनुसार)

प्रतिलिपि :-

1. संपादक, रोजगार समाचार, 7वां तल, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003।
2. महानिदेशक (संकर्म), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।
3. समस्त मुख्य अभियंता, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।
4. मुद्रण निदेशालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. प्रकाशन नियंत्रक का निदेशालय, सिविल लाईस, नई दिल्ली।
6. संपदा निदेशालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
7. निदेशालय, भूमि विकास अधिकारी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
9. आयुक्त (योजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
10. सीपीएचईपीओ, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011।
11. प्रकाशन नियंत्रक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011।
12. एनसीआरपीबी, प्रथम तल, कोर IV बी, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003।
13. डीयूएसी, कोर 6ए, अपर ग्राउंड एवं प्रथम तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003।
14. मुख्य नियोजक, दिल्ली नगर निगम, मेड भवन, सिटी जोन, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110003।
15. भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002।
16. डीएमआईसी कॉरपोरेशन, कमरा नं.341बी, तीसरा तल, होटल अशोक, डिप्लोमेटिक एन्कलेव, 50वी, चांक्यपुरी, नई दिल्ली-110021।
17. योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, 4, ब्लॉक बी इन्ड्रप्रस्थ एस्टेट, एजीसीआर के निकट, नई दिल्ली-110002।
18. योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नीलबाद रोड, भौंरी, भोपाल-462030।
19. योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, एसवाई सं. 71 / 1, एनएच 5, निदामनुरु, विजयवाड़ा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश-521104।
20. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, 7वां तल, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001।
21. महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण, हाथी बरकल एस्टेट, देहरादून-248001।
22. भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, 4, कालिदास रोड, देहरादून-248001।
23. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, बालानगर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500037।
24. अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष भवन, न्यू बैल रोड, बैंगलुरु-560231।
25. भारतीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संस्थान, भीतरी रिंग रोड, उप्पल, हैदराबाद, तैलंगाना-500039।
26. विज्ञान एवं प्रोटोटाइपिंग की विभाग, प्रोटोटाइपिंग की भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016।
27. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्ड्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002।
28. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, 5-वी, आईआईपीए परिसर, आई.पी. एस्टेट, महात्मा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली-110002।
29. नगर नियोजक संस्थान, 4-ए, रिंग रोड, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002।
30. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, ए-1, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-110029।
31. भारतीय प्रोटोटाइपिंग की संस्थान, खडगपुर, पश्चिम बंगाल।
32. वास्तुकला एवं योजना विद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई।
33. शासकील इंजीनियरी कॉलेज पुणे, अब पुणे इंजीनियरी एवं प्रोटोटाइपिंग की संस्थान, पुणे।
34. विकास अध्ययन संस्थान, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर।
35. सीईपीटी, अहमदाबाद।
36. गुरु रामदास योजना विद्यालय, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर (पंजाब)।
37. आईआईटी, रुडकी (उत्तराखण्ड)।
38. बंगाल इंजीनियरी कॉलेज, सिबपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
39. विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रोटोटाइपिंग की संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), नागपुर, महाराष्ट्र।
40. योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, जेएनटीयू, हैदराबाद।
41. जवाहरलाल नेहरू वास्तुकला एवं लितिकला विश्वविद्यालय, हैदराबाद।
42. मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रोटोटाइपिंग की संस्थान, भोपाल।
43. सरदार बल्लभभाई राष्ट्रीय प्रोटोटाइपिंग की संस्थान, सूरत, गुजरात।
44. अरविंदभाई पटेल पर्यावरणीय डिजाइन संस्थान, भाईकाका मानव बरसी केंद्र, वल्लभ विद्यानगर, सूरत, गुजरात।

45. इंजीनियरी कॉलेज, तिरुवनंतपुरम, केरल।
46. मालवीय राष्ट्रीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, जयपुर, राजस्थान।
47. दीनबंधु छोटु राम विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, मुर्थल, सोनीपत, हरियाणा।
48. बिरला प्रोद्यौगिकी संस्थान, रांची, एमईएसआरए, झारखण्ड।
49. महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, रसीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली।
50. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय ज्ञापन को इसके संलग्नक सहित आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वेब साईट पर डाल दें।
51. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कमरा सं. 11/ए, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली—110001 — इस अनुरोध के साथ कि वे इसे डीओपीटी की वेबसाइट ('स्वायत्त/अधीनस्थ संगठनों में रिक्तियों' शीर्ष के अंतर्गत) पर डाल दें। विज्ञापन की रकैन की गई प्रति को 'diracc@nic.in' को एक प्रति के साथ 'persinfotech@nic.in' को भी ई—मेल किया जाता है।
52. सूचना पट्ट।

राजीव कुमार दास
(राजीव कुमार दास)
अवर सचिव, भारत सरकार